

I/22404/2021

By Speed Post/E-mail

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

Gr. Floor, Hudco Vishala Building,
Bhikaji-Cama Place, New Delhi,
Dated the September, 2021

To,

Director General, Directorate of Performance Management
Drum Shape Building, IP Estate, New Delhi-110002.

Subject: Notification of Central Board of Indirect Taxes and
Customs

Directorates Stenographer Grade-II, Lower Division Clerk, Head
Havaldar, Havaldar and Multi-Tasking Staff, Group 'C' posts,
Recruitment Rules, 2021- regarding.

Sir/ Madam,

Please find enclosed herewith the Recruitment Rules for the posts of
Stenographer Grade-II, Lower Division Clerk, Head Havaldar, Havaldar and
Multi-Tasking Staff in Directorates under Central Board of Indirect Taxes and
Customs which have been notified vide G.S.R. 622 (E) dated 9.9.2021. This is
for your kind information, record and necessary action. It may also be
downloaded directly from the website: www.egazette.nic.in

Yours

faithfully,
Encls.: As Above

(R.K. Jha)
Deputy Secretary to the Govt. of India
Tel./Fax
No.:26162693

Copy to:

- (1) Webmaster, DG Systems & Data Management, 4th & 5th Floor,
Hotel Samrat, Chanakyapuri, New Delhi - 110021 for placing on
CBIC website.
- (2) ADG (HRM-I), DGHRD, Bhai Vir Singh Sahitya Sadan, Bhai Vir
Singh Marg, New Delhi - 110001;
- (3) US (RR), UPSC, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi -
110069;
- (4) US (RR), DOPT, North Block, New Delhi.

(R.K. Jha)

I/22404/2021

Deputy Secretary to the Govt. of India

Signed by Rajan Kumar Jha
Date: 16-09-2021 11:10:25
Reason: Approved



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092021-229527
CG-DL-E-10092021-229527

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 508]
No. 508]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 10, 2021/भाद्र 19, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 10, 2021/BHADRA 19, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 622(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में निरीक्षण महानिदेशालय (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) और उसके काडर इकाई समूह "ग" और समूह "घ" पद भर्ती नियम, 2004, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग के संभार तंत्र निदेशालय में समूह "ग" और "घ" पद भर्ती नियम, 2004, राजस्व आसूचना निदेशालय और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2004, प्रकाशन निदेशालय (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1988, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) आंकड़ा प्रबंध निदेशालय, समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2004 और केन्द्रीय राजस्व अधीनस्थ रसायन सेवा (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2004 को, जहां तक उनका संबंध अशुलिपिक श्रेणी - III, अवर श्रेणी लिपिक, प्रधान हवलदार, हवलदार और बहुकार्य कर्मचारिवृंद के पदों में है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन निदेशालयों में आशुलिपिक श्रेणी-II, अवर श्रेणी लिपिक, प्रधान हवलदार, हवलदार और बहुकार्य कर्मचारिवृंद के पदों पर भर्ती के पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ: -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड निदेशालय आशुलिपिक श्रेणी-II, अवर श्रेणी लिपिक, प्रधान हवलदार, हवलदार और बहुकार्य कर्मचारिवृंद, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2021 हैं।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष उपबंध :- (1) निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली निम्नलिखित निदेशालयों के जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, उक्त पदों के लिए काडर नियंत्रक प्राधिकारी होगा, अर्थात् :-

- (i) निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय;
- (ii) राजस्व आसूचना महानिदेशालय;
- (iii) माल और सेवा कर आसूचना महानिदेशालय;
- (iv) संभार तंत्र महानिदेशालय;
- (v) कर दाता सेवा महानिदेशालय;
- (vi) तंत्र एवं आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय;
- (vii) केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला;
- (viii) सतर्कता महानिदेशालय;
- (ix) संरक्षा महानिदेशालय;
- (x) निर्यात संवर्धन महानिदेशालय;
- (xi) संपरीक्षा महानिदेशालय;
- (xii) विधि कार्य महानिदेशालय;
- (xiii) मानव संसाधन विकास महानिदेशालय;
- (xiv) मुख्य आयुक्त (ए आर), सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद और सेवा कर अपील अधिकरण (सीईएसटीएटी);
- (xv) वैश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय;
- (xvi) मूल्यांकन महानिदेशालय;
- (xvii) अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क निदेशालय;
- (xviii) माल और सेवा कर महानिदेशालय;
- (2) समूह 'ख' और समूह 'ग' की श्रेणी में सभी विलीन निदेशालयों के पदों पर परस्पर ज्येष्ठता भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी अनुदेशों या मार्गदर्शन के अनुसार समेकित किया जाएगा।

3. आरंभिक गठन :-

- (1) ऐसे कार्मिक जो इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पहले तारीख 18.12.13 को काडर पुनर्संरचना करने से पूर्व भंडारी (समूह 'ग' पद) और सफाईवाला, दफ्तरी, चपरासी, फराश, चोकीदार, अभिलेख पाल, गेस्टेटरनर आपरेटर (ओ जी), माली और प्रबंधक (समूह 'घ' पद) के पदों पर नियमित आधार पर पदधारण किए हुए हैं इन नियमों के उपबंधों के अनुसार विमुक्त किए गए समझे जाएंगे।

- (2) ऐसे कार्मिक जो सिपाही के पदों पर विलयन की तारीख से पहले सिपाही और नियमित आधार पर हवलदार के रूप में पुनः नामनिर्दिष्ट हवलदार का पदधारण किए हुए हैं इन नियमों के उपबंध के अनुसार विवयन की प्रभावी तारीख 6.3.2013 से हवलदार के रूप में नियुक्त किए गए समझे जाएंगे। हवलदार का काडर सिपाही के काडर से सामूहिक रूप से ज्येष्ठ होगा।
- (3) इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पहले अपनी-अपनी श्रेणी में पूर्वोक्त निर्देश कार्मिक की नियमित निरंतर सेवा प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए परिवीक्षा को अवधि, ज्येष्ठता, अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना की जाएगी।
4. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि :-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
6. **निरर्हता - वह व्यक्ति-**
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति अथवा जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
7. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
8. **व्यावृत्ति :-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट, और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. आशुलिपिक श्रेणी - II	74* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक में स्तर - 4 (रु. 25,500 - 81,100)	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12 वी कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष; (ii) कुशल परीक्षण मान; श्रुतलेख : 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर 10 मिनट ; अनुलिपिकरण : कम्प्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट

					सकती है)	(हिन्दी)
					टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ अमेसन किया जाएगा
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (i) ज्येष्ठतम अपर निदेशक, मुख्यालय कार्यालय - अध्यक्ष (ii) अपर या संयुक्त निदेशक, मुख्यालय - सदस्य (iii) उप या सहायक निदेशक, आयकर - सदस्य टिप्पणी : जहां उपरोक्त क्र. सं. (i) से (iii) में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों का कोई सदस्य नहीं है वहां विभाग के बाहर से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का समूह 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में भी सहयुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. अवर श्रेणी लिपिक	95* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक में स्तर - 2 (रु. 19,900 - 63,300)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)
<p>रिक्तियों को विभागीय परीक्षा द्वारा भरा जाएगा जिन्होंने हवलदार और बहुकार्य कर्मचारिवृंद की श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। रिक्तियों को हवलदार और बहुकार्य कर्मचारिवृंद के पदों पर क्रमशः 2:3 के अनुपाद में आवंटित की गई है।</p> <p>टिप्पण :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(i) ज्येष्ठतम अपर निदेशक, मुख्यालय कार्यालय - अध्यक्ष</p> <p>(ii) अपर या संयुक्त निदेशक, मुख्यालय - सदस्य</p> <p>(iii) उप या सहायक निदेशक, आयकर - सदस्य</p> <p>टिप्पणी : जहां उपरोक्त क्र. सं. (i) से (iii) में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों का कोई सदस्य नहीं है वहां विभाग के बाहर से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का समूह 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में भी सहयुक्त किया जाएगा।</p>	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. प्रधान हवलदार	167* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक में स्तर - 2 (रु. 19,900 - 63,300)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)

वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 1 (रु. 18,000 – 56,900) में ऐसे हवलदार जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उन ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

- | | | |
|-------|---|---------|
| (i) | ज्येष्ठतम अपर निदेशक, मुख्यालय कार्यालय - | अध्यक्ष |
| (ii) | अपर या संयुक्त निदेशक, मुख्यालय - | सदस्य |
| (iii) | उप या सहायक निदेशक, आयकर - | सदस्य |

टिप्पणी : जहां उपरोक्त क्र. सं. (i) से (iii) में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों का कोई सदस्य नहीं है वहां विभाग के बाहर से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का समूह 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में भी सहयुक्त किया जाएगा।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. हवलदार	221* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक में स्तर - 1 (रु. 18,000-56,900)	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष। टिप्पण 1 : अर्हताएं अल्पया सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित शारीरिक मानक हो और उन्हें शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण करना होगा, अर्थात् :- पुरुष अभ्यर्थियों के लिए : (i) शारीरिक मानक (न्यूनतम) ऊंचाई-157.5 से.मी. (गढवाली, असमिया, गोरखा और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की दृश्य में 5 से.मी. तक शिथिल की जा सकती है। छाती - 81 सें. मी. (पूर्ण रूप से

						<p>5 से.मी. की न्यूनतम फैलाव सहित)</p> <p>(ii) शारीरिक परीक्षण: चलना - 15 मिनट में 1600 मीटर।</p> <p>महिला अभ्यर्थियों के लिए :</p> <p>i) शारीरिक मानक: (न्यूनतम)</p> <p>ऊंचाई - 152 से. मी., वजन - 48 कि.ग्रा.</p> <p>(गढ़वाली, असमिया, गोरखा और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की दशा में ऊंचाई 2.5 से.मी. तक और वजन 2 कि.ग्रा. तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>(ii) शारीरिक परीक्षण: चलना - 20 मिनट में 1 कि.मी.</p>
--	--	--	--	--	--	--

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(i) ज्येष्ठतम अपर निदेशक, मुख्यालय कार्यालय - अध्यक्ष</p> <p>(ii) अपर या संयुक्त निदेशक, मुख्यालय - सदस्य</p> <p>(iii) उप या सहायक निदेशक, आयकर - सदस्य</p> <p>टिप्पणी : जहां उपरोक्त क्र. सं. (i) से (iii) में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई सदस्य नहीं है वहां विभाग के बाहर से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का समूह 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में भी सहयुक्त किया जाएगा।</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. बहुकार्य कर्मचारिवृंद	128* (2021)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक में स्तर - 1 (रु. 18,000-56,900)	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं कक्षा अत्तीर्ण या समकक्ष। टिप्पण 1 : अर्हताएं अल्पया सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में

	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।				अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
--	--	--	--	--	---	---

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (i) ज्येष्ठतम अपर निदेशक, मुख्यालय कार्यालय - अध्यक्ष (ii) अपर या संयुक्त निदेशक, मुख्यालय - सदस्य (iii) उप या सहायक निदेशक, आयकर - सदस्य टिप्पणी : जहां उपरोक्त क्र. सं. (i) से (iii) में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई सदस्य नहीं है वहां विभाग के बाहर से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का समूह 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में भी सहयुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/02/2019-प्रशा-III ख]

मोहम्मद आशिफ, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2021

G.S.R. 622 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in the supersession of the Directorate of the Inspection (Customs and Central Excise) and its Cadre Units in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules, 2004, the Directorate of Logistics, Ministry of Finance, Department of Revenue, Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules, 2004, the Directorate of Revenue Intelligence and the Directorate of Central Excise Intelligence, Ministry of Finance,

Department of Revenue, Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules 2004, the Directorate of Publications (Customs and Central Excise) (Group 'C' and Group 'D' posts) RRs, 1988, the Directorate of Data Management, Ministry of Finance (Department of Revenue), Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules 2004 and the Central Revenues Subordinate Chemical Service (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 2004 in so far as they relate to the posts of Stenographer Grade-III, Lower Division Clerk, Head Havaldar, Havaldar and Multi-Tasking Staff, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Stenographer Grade-II, Lower Division Clerk, Head Havaldar, Havaldar and Multi-Tasking Staff in the Directorates under the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Central Board of Indirect Taxes and Customs Directorates Stenographer Grade-II, Lower Division Clerk, Head Havaldar, Havaldar and Multi-Tasking Staff, Group 'C' posts, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Special Provision. - (1) Directorate General of Performance Management, Central Board of Indirect Taxes and Customs, New Delhi will be the Cadre Controlling Authority for the said posts for the following Directorates as approved by the Board namely:

- (i) Directorate General of Performance Management
- (ii) Directorate General of Revenue Intelligence
- (iii) Directorate General of Goods and Service Tax Intelligence
- (iv) Directorate General of Logistics
- (v) Directorate General of Tax Payer Services
- (vi) Directorate General of Systems & Data Management
- (vii) Central Revenue Control Laboratory
- (viii) Directorate General of Vigilance
- (ix) Directorate General of Safeguards
- (x) Directorate General of Export Promotion
- (xi) Directorate General of Audit
- (xii) Directorate General of Legal Affairs
- (xiii) Directorate General Human Resource Development
- (xiv) Chief Commissioner (AR), Customs, Central Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT)
- (xv) Directorate General of Analytics and Risk Management
- (xvi) Directorate General of Valuation
- (xvii) Directorate of International Customs
- (xviii) Directorate General of Goods and Service Tax

(2) Inter-se-seniority of all merged Directorates posts in the grade of Group-B and C shall be integrated as per the instructions or guidelines issued by the Government of India from time to time in this regard.

3. Initial Constitution. - (1) Personnel holding the post of Record Keeper (Group-C post) and Safaiwala, Daftry, Peon, Farash, Chowkidar, Record Sorter, Gestetner Operator (O. G.), Mali and Messenger (Group-D post) prior to Cadre Restructuring dated 18.12.13 immediately before the commencement of these Rules on regular basis shall be deemed to have been appointed in accordance with the provision of these rules.

(2) Personnel holding the post of Sepoy before the date of merger of posts of Sepoy and Havaldar re-designated as Havaldar, on regular basis shall be deemed to have been appointed as Havaldar w.e.f. 6.3.2013, the effective date of merger, in accordance with the provision of these rules. The cadre of Havaldar shall be en-bloc senior to the cadre of Sepoy.

(3) The regular continuous service of personnel referred above in the respective grade immediately before the commencement of these rules shall count for the purpose of period of probation, seniority, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

4. Number of posts, classification, level in pay matrix. — The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

5. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

6. Disqualification. — No person, —

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification.	Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or non-selection Post	Age-limit for direct recruits	Educational and other Qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Stenographer Grade -II	74* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level – 4 in the Pay Matrix (Rs.25,500-81,100).	Not applicable.	Between 18 to 27 Years. (Relaxable for Government Servants upto forty years in accordance with instructions and orders issued by the Central Government). Note: - The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) 12 th class pass or equivalent from a recognised Board or Institution. (ii) Skill test norms: Dictation: 10 minutes @ 80 words per minute Transcription: 50 minutes (English); 65 minutes (Hindi) on Computer

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which
--	----------------------------	---	--

apply in the case of promotees		percentage of the vacancies to be filled by various methods	promotion or deputation/ absorption is to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not Applicable	Two Years	By direct recruitment through Staff Selection Commission.	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>(i) The senior most Additional Director at Headquarters Office – Chairman</p> <p>(ii) The Additional or Joint Director, Headquarters – Member</p> <p>(iii) Deputy or Assistant Director of Income-Tax – Member</p> <p>Note: Where none of the member at serial No. (i) to (iii) above belongs to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, a group 'A' officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also associate as a member of the DPC.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Lower Division Clerk.	95* (2021) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level – 2 in the pay matrix (Rs. 19,900-63,200).	Non-selection.	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	By Promotion	<p>Vacancies shall be filled by Departmental examination with three years regular service in the grade of Havaldar and Multi-Tasking Staff. The vacancies are to be allocated to the post of Havaldar and MTS in the ratio of 2:3 respectively.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: -</p> <p>(i) Senior most Additional Director at Headquarters Office – Chairman;</p> <p>(ii) Additional or Joint Director, Headquarters – Member;</p> <p>(iii) Deputy or Assistant Director of Income-Tax – Member.</p> <p>Note: Where none of the member at serial No. (i) to (iii) above belongs to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, a group 'A' officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also associate as a member of the DPC</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Head Havaladar.	167* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 2 in the pay matrix (Rs.19,900-63,200).	Non-selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	By promotion	<p>Havaladar in level -1 in the pay matrix (Rs.18,000-56,900) with three years regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <p>(i) Senior most Additional Director at Headquarters Office – Chairman;</p> <p>(ii) Additional or Joint Director, Headquarters – Member;</p> <p>(iii) Deputy or Assistant Director of Income-Tax – Member.</p> <p>Note: Where none of the member at serial No. (i) to (iii) above belongs to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, a group 'A' officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also associate as a member of the DPC</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Havaladar	221* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 1 in the pay matrix (Rs.18,000-56,900).	Not applicable	Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government Servants upto forty years in accordance with instructions and orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.	10 th class pass or equivalent from a recognised Board or Institution. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: Candidates shall be required to possess the physical standards and pass physical test, namely:- For Male Candidates: (i) Physical standard (minimum) Height-157.5 cms. (relaxable by 5 cms. In the case of Garhwalis, Assamese, Gorkhas and members of the Schedule Tribes) Chest – 81 cms. (fully expanded with minimum expansion of 5 cms.) (ii) Physical Test: Walking – 1600 meters in 15 minutes For Female Candidates: (i) Physical Standard (minimum) Height -152 cms. Weight-48 Kgs Height relaxable by 2.5 cm and weight by 2 Kgs, in case of Garhwalis, Assamese, Gorkhas and members of the Scheduled Tribes. (ii) Physical Test: Walking -1 Km in 20 minutes

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years	By Direct Recruitment through Staff Selection Commission.	Not applicable

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>(i) Senior most Additional Director at Headquarters Office – Chairman;</p> <p>(ii) Additional or Joint Director, Headquarters – Member;</p> <p>(iii) Deputy or Assistant Director of Income-Tax – Member.</p> <p>Note: Where none of the member at serial No. (i) to (iii) above belongs to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, a group 'A' officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also associate as a member of the DPC</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Multi-Tasking Staff.	128* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 1 in the pay matrix (Rs.18,000-56,900).	Not applicable.	Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government Servants upto forty years in accordance with instructions and orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.	10 th class pass or equivalent from a recognised Board or Institution. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years	By direct recruitment through Staff Selection Commission.	Not applicable

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>(i) Senior most Additional Director at Headquarters Office – Chairman;</p> <p>(ii) Additional or Joint Director, Headquarters – Member;</p> <p>(iii) Deputy or Assistant Director of Income-Tax – Member.</p>	Not applicable.

<p>Note: Where none of the member at serial No. (i) to (iii) above belongs to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, a group 'A' officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also associate as a member of the DPC</p>	
---	--

[F. No.A-12018/02/2019-Ad.III.B]
MOHAMMAD ASHIF, Under Secy.